

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत 342809 आवेकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

बकली बनाम कपिल

सम मुकद्दमा पार्श्व पत्र नं. 487 सन् 2022

136 LR Act (2022/851)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/1/24	<p>प्राप्त की वेश हर्षा अखिवषा पार्श्व पत्र नं. 01 से 03 अनुपलब्ध आवाज आवाज गढ़। उपलब्ध नही हुए। इनके बिना एक तरफा कार्यवाही के जारी रिए जसे ही अखिवषा पार्श्व के निर्देश पर वही पार्श्व एक तरफा पुनी गई।</p> <p>हमने प्राप्ती का अन्वेषण का अखिवषा पार्श्व की बहल पर मजज किया। पार्श्व ने गुज चिकारी पर हा चिकारी के अन्वेषण 26 से वही आवाज नम्बर 556, 557, 561, 562, 643, 650 से 653 कीला 09 फुल एका 3.2600 हे में सम्पित नाम बल्लु पुत्र रामसिंह के वजाय बकली पुत्री रामसिंह अंकित कराने हेतु धारा 136 LR Act के तहत पार्श्व पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>धारा 136 LR Act के तहत गत सेलमेन्ट के मुकामले नवीन रेकार्ड में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसे सुद्धि किए जाने के प्रावधान है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण नाम परिवर्तन किए जाने काकार है, जिससे प्रकरण धारा 136 LR Act के तहत पोषणीय नही है। अतः पार्श्व का पार्श्व पत्र जारी किया जाता है। पार्श्व के नाम सुमार होकर नम्बर से कम है।</p>	

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपरखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)